



Goodness of 12 herbs for Skin care

Scars • Wrinkles • Pimples • Dull Skin



रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम में मौजूद ऐलोवेरा, तुलसी, द्राक्षा, हरिद्रा, चंदन, बादाम इत्यादि जड़ी बूटियाँ चेहरे पर नमी सुरक्षित रख एक ट्रीटमेंट की तरह कार्य करती हैं। इसके पोषक एवं एंटी-ऑक्सीडेंट गुण चेहरे की त्वचा को युवा रखने में सहायता करते हैं। यह रूखी/ बेजान त्वचा, झुर्रियों, आंखों के नीचे काले घेरे, खिंचाव के निशान इत्यादि के प्रबंधन में विशेष सहायक है।

24x7 Helpline: 87259 6666 • www.roopmantra.com
Available at all medical & general stores

Clinically Tested*



आयुर्वेद के छह विषयों में होगी डीएम की पढ़ाई

राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में खुलेगी डिप्लोमा लैब, आयुष हित धारक सम्मेलन हुआ

लखनऊ। आयुर्वेद में अब जल्द ही सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) की पढ़ाई होगी। अभी तक डीएम का कोर्स अष्टावैद में नहीं था। ऐसे में सुपर स्पेशलिटी कोर्स की शुरुआत जल्द ही आयुर्वेद में होगी। इसमें डॉक्टरों को इलाज व शोध में काफी मदद मिलेगी।

यह बातें बोर्ड ऑफ आयुर्वेद के डॉ. अल्लम धनु कोइड़ा ने कहीं। मौका था सोमवार को आयुर्वेद कॉलेज में आयोजित आयुष हित धारक सम्मेलन का। इसमें नेशनल कमिशन फॉर इंटीग्रेड मेडिसिन ऑफ मेडिसिन (एनसीआईएसएम) के अधिकारियों व प्रदेश के सभी आयुर्वेदांक एवं युवांनी कॉलेज के प्रबंधक, प्रधानाचार्य

विश्वविद्यालयों को आकांक्षी जिलों में निवेश पर मिलेगी 100% तक छूट

लखनऊ। सरकार ने उच्च शिक्ष क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टॉप क्यूटी में बढ़ी सब्सिडी देने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव स्टॉप एवं पंजीयन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक भारतीय स्टॉप एफ-1899 की धारा 9(1)(क) के तहत यह छूट दी गई है।

यह व्यवस्था सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। अधिसूचना के अनुसार उपर उच्च शिक्षा इम्प्लेंट चालिसी-2024 के प्रावधानों के तहत बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) स्थापित करने पर भूमि क्रय से संबंधित स्टॉप शुल्क में छूट दी जाएगी। व्युत्

ऐसे मिलेगी सब्सिडी

- प्रथम एमईआरयू (नै-आकांक्षी जिला, जहां पहले से ऐसा संस्थान न हो) जहां 50 करोड़ रुपये तक की भूमि लागत पर 50% स्टॉप शुल्क की छूट मिलेगी। 50 से 150 करोड़ रुपये तक के निष्का पर 30% छूट मिलेगी। 150 करोड़ रुपये से अधिक पर 20% छूट मिलेगी। यह छूट तैयार आधारित होगी। भूमि की लागत के रूप में पंजीकृत दस्तावेज में दर्ज खसतीक क्रय मूल्य माना जाएगा। यदि भूमि गृहस्वामी का किसी अन्य राज्य एजेंसी से आकर्षित की जाती है तो वार्षाविक आर्बेटन मूल्य को भूमि लागत माना जाएगा। स्टॉप शुल्क व पंजीकृत शुल्क भूमि लागत में शामिल नहीं होंगे।
- आकांक्षी जिलों में पहले एमईआरयू को भूमि निवेश की सीमा की परावर्त किंत् निम्न 100% स्टॉप शुल्क छूट मिलेगी।
- राज्य में स्थापित होने वाले पहले पांच बिदेशी एमईआरयू संस्थानों को, बाशों के दृवीसी से निर्धारित वैश्विक पैमाने (राशों 500) अथवा विशिष्ट उच्चकृत मास्टर्ड प्लू करते हो, भूमि निवेश की किंसी भी सीमा के बावजूद 100% छूट दी जाएगी।



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
हमें अमरजाला के शासन, लखनऊ, जोधपुर – 342001

संपर्क: – 38/ पिएएफ / 2025-26 / 20081094 दिनांक: 17.02.2026

ई-विड सुपदा संख्या: – जेन पीएफई/15/2025-26 दिनांक 05.12.2025

जोधपुर विकास अधिकरण, जोधपुर की ओर से नीचेके से कार्य हेतु संबन्धी से निर्धारित एचए में ई-जोडपुलचेनट डिक्रिया के जर्न जर्नल निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इन उक्त कार्य की अनुमति प्राप्त, निविदा देवे जामे उक्त कार्य करने की दिनांक, निविदा जर्न जर्नल का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट: <http://www.esproc.rajasthan.gov.in> www.jodhpurjda.org www.sodp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

NID CODE :-J002526A0254

TENDER ID/BN N. :-J002526WS080570) अधिकारी अभिप्राय (पीएचई) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



कार्यालय तहसीलदार रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
फ़ोन: 4253/1337नं (बा.) दिनांक:23-02-2026

आवासीय भूमि आर्बटन हेतु विज्ञापि

सर्वसाधारण व भूमि प्रचन्धक समिति के समस्त सदस्यगण को सूचित किया जाता है कि भूमि स्थित जमा चक्रवर्ती पतन व तहसील रामपुर मनिहारन में खसरा नम्बर 600 / 0.1024 व 766/0.0819 ई0 नवीन चर्चा (अर्थात् फ़ील्डोन हेतु सुरक्षित) व खसरा नम्बर 1372/0.0512 ई0 (नवीन चर्चा श्रेणी - 5 - 1) की भूमि जो आवासीय आर्बटन हेतु उपयुक्त है जो मौक के पर काली पडी हुई है। उक्त खसरा नम्बरगण को आवासीय आर्बटन हेतु दिनांक 13.03.2026 को प्रातः 11 बजे ग्राम संसद भवन / पंचायत भवन चक्रवर्ती में आवेजित भूमि प्रचन्धक समिति की बैठक में किया जायेगा। आवेदन हेतु उच्चकृ व्यक्ति अपना-अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित अथवा/सचिव भूमि प्रचन्धक समिति के सम्मम निर्धारित तिथि से पूर्ण प्रस्तुत कर सकते हैं।

तहसीलदार, रामपुर मनिहारन।



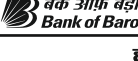
कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता
निर्माण प्रकल्प, ए-37 पुराना अमराव विकास दिल्ली रोड, सहारनपुर
उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी सच लिं
(ए.पी. अर. एच. एच.एच) (एच नाप चक्रवर्ती)
राजकी निर्माण मुंबई-1

प्रकल्प: 339/ ई-जीआरआरएनएनएनएनएन/सिड/ 2025-26 दिनांक: 23.02.2026

अनुमति निष्पन्नानि अग्रत कार्य है कि इन कार्यालय द्वारा निर्दिष्टनि निर्माण करी वर निवे देवे निर्माणपत्र निर्दिष्ट अधिकारी की जाती है। निर्दिष्ट कार्य निर्माण निम्नप्रकार है।

क्र.सं.	देखा कीमत सच	निविदा की तिथि	जमात का पत्र	सौचिकता का नाम	निविदा कीमत
1.	65E-TENDER/UPNPS/SIR/ 2025-26 DATE 23.02.2026	24.02.2026	आवासी	सहारा सहकारी सहित, सहारा रोड, सहारा में 100 ई0 इन रोडग का निर्माण कार्य।	37.41 लाख
2.	66E-TENDER/UPNPS/SIR/ 2025-26 DATE 23.02.2026	24.02.2026	आवासी	सहारा सहकारी सहित, सहारा रोड, सहारा में 100 ई0 इन रोडग का निर्माण कार्य।	37.41 लाख

अधीशासी अभिप्राय
पुरविकाचार/चक्रवर्ती/एच
निर्माण प्रकल्प सहारनपुर



बैंक ऑफ बरौडा
Bank of Baroda

हमारे पिय ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

हम अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह सूचित करना चाहते हैं कि बैंक ऑफ बरौडा, फर्रुखा शाखा, जो वर्तमान में निम्न पते पर संचालित हो रही है- बैंक ऑफ बरौडा, फर्रुखा शाखा, ग्राम एवं पोस्ट- फर्रुखा, परगना, तहसील एवं जनपद मेरठ- 245206, उत्तर प्रदेश, मोबाइल नं.: 8477000354, ईमेल: dbpaph@bankofbaroda.co.in को स्थानांतरित कर निम्न नए पते पर संचालित किया जाएगा- बैंक ऑफ बरौडा, फर्रुखा शाखा रजमुंदीनमिरी उर्फ फर्रुखा, परगना, तहसील एवं जनपद मेरठ, हाउड, मेरठ रोड, आवाश रौली के सामने, ग्राम एवं पोस्ट- फर्रुखा, जनपद मेरठ- 245206, उत्तर प्रदेश, मोबाइल नं.: 8477000354, ईमेल: dbpaph@bankofbaroda.co.in (यह स्थान वर्तमान शाखा परिसर के ठीक सामने स्थित है।) शाखा दिनांक 27-04-2026 से उपरोक्त नए पते से कार्य करना प्रारम्भ कर देगी तथा वही से सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएगी।

साव धी, हम अपने फर्रुखा शाखा के सभी लॉकर धारक ग्राहकों को सूचित करना चाहते हैं कि लॉकरों को प्रस्तावित स्थान पर स्थानांतरित करने समय पूर्ण सावधानी बरती जाएगी। तथापि, स्थानांतरण के दौरान किसी भी जोखिम या संभावित हानि को न्यूनतम करने हेतु, यदि कोई लॉकर धारक ग्राहक स्थानांतरण से पूर्व अपने लॉकर की सामग्री अपने पास रखा चाहते हैं तथा लॉकरों के स्थानांतरण के बाद पुनः जमा करना चाहते हैं, तो कृपया दिनांक 24-04-2026 (स्थानांतरण की तिथि से एक दिन पूर्व) तक संबंधी शाखा प्रबंधक से संपर्क कर ऐसा कर सकते हैं।

इस अनुविधा के लिए हमें खेद है। हम आपको आवश्तर करते हैं कि भविष्य में भी आपको हमारी श्रेष्ठ बैंकिंग सेवाएं निरंतर प्रदान की जाती रहेंगी।

शाखा प्रमुख, बैंक ऑफ बरौडा, फर्रुखा शाखा

दिनांक: 23.02.2026

यह दिल्ली में आई एनसीआईएसएम की अध्यक्ष प्रो. मनीषा उपेक्ष कोटेकर ने बताया गया कि अष्टावैद के शिक्षण में कॉलेज के प्रबंधकों, प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय चिकित्सा परिषद राष्ट्रीय आयोग कॉलेज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। न्यूनतम मानकों को बनाए रखने एवं निरंतर गुणवत्ता को बढ़ाए जाने की जरूरत है। आयुमान भारत एवं अन्य कार्यक्रमों के जरिये चिकित्सालय को विश्वीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। एनसीआईएसएम के डॉ. मकुल फेल्ट ने कहा कि हर अष्टावै महाविद्यालय के चिकित्सकालयों को आयुमान भारत डिजिटल मिशन के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराए जाने की जरूरत है जिससे समाज के स्वास्थ्य का डिजिटल डाटा उपलब्ध हो सकेगा। बोर्ड आफ आयुर्वेद के डॉ. मुमुत कनीजया ने बताया कि आयुष महाविद्यालय के चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन प्रदेश के रजिस्टर में कराया जाएगा। प्रो. मनीषा उपेक्ष कोटेकर ने राजकीय आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ की अंतिम वर्ष की छात्राओं को डॉ. सत्यपाल गुप्त स्मृति चरक उत्तराखंड पुरस्कार प्रदान किया। इसमें मोहल मेडल कुमारी खुशू शर्मा को और रजत मेडल कुमारी मीनाक्षी तिवारी को मिला। व्युत्

कलित के प्रधनाचार्य प्रो. दिनेश कुमार मौर्य ने कहाकि प्रदेश में एक ही इन के नीचे आयुर्वेद, होमोपैथी एवं कुसी निवा की चिकित्सा उपलब्ध कराए जाने के लिए 17 अस्पत्रालों में 50 राैया वाले एकीकृत आयुष चिकित्सकन का संस्थान काया ज रहा है। इस वर्ष आयुष विभाग के अंतर्गत अपना, बस्ती, मेरठ, रोहा एवं मिर्जापुर बंडल में एकीकृत आयुष महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में स्थित लेब की स्थापना किए जाने की योजना है। कार्यक्रम का संचालन विश्व अठुर्वेद परिषद के सहसर्माध्य डॉ. मुंदिर चौधरी ने किया।

किताबों की आपूर्ति और आरटीई में प्रवेश की प्रगति जांचेंगे अपर मुख्य सचिव

लखनऊ। प्रदेश के पाठ्यपुत्री विद्यालयों में बच्चों को नए सत्र 2026-27 में समय से किताबें वितरित करने की कवायद तेज हो गई है। इसके तहत कई जिलों में 80 कीमीटी तक किताबों की आपूर्ति हो गई है। अब जिले में इसका टेडर कर भावों में वितरण सुनिश्चित किया जका है।इसी क्रम में बंमक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव फार्ब साधों मैन शर्मा 26 फरवरी को बैठक कर विभागीय कार्यों की प्रगति जांचेंगे। इसमें प्रमुख रूप से सत्र 2026-27 में पठ्य पुस्तकों की समय में आपूर्ति, आरटीई में प्रवेश व वितरण फीस प्रतियुर्ति के लिए दी गई राशि के भुगतान की स्थिति शामिल है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव फौजवाडी योजना में एसएमए स्पोर्ट के माध्यम से विशेष व्यव. वीएम केएम योजना के अंतर्गत विशेष प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। सभी मंडलवन महानक शिक्ष निदेशक व वीएमए की अहंरुद्धन समीक्षा बैठक में वे नव भात साधक के व्यव. समक्ष शिक्षा की स्थिति योजनाओं, फर्नीचर खरीद व भूधतन, हंडनी में पहले सभी कार्यों की वेतन भुगतान, आईसीटी लेब, स्मार्ट क्लास व टेक्नोट, वीएम मंडलवन कॉर्पोरेट विद्यालय की दूसरी किता के उपकरण प्रभाव पर की स्थि की भी समीक्षा करेंगे। व्युत्



punjab national bank
...बरोसे का प्रतीक!

सीओ एसएएम, मेरठ, सी 05 वेद व्यास पुरी, मेरठ- 250002, ३0प्र0, ई-मेल: comrtsam@pnb.bank.in

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना					
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 8 (2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्णगन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल /अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।					
आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति को प्रतिभूति लेनदार को पास गिरी/प्राभरित है का सांकेतिक/ भौतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कच्चा प्रतिभूति लेनदार के प्राप्ति अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी) / गारन्टरों की वकया राशि की वसूली हेतु बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। विक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें https://baanknet.com/ (वेबसाइट का विवरण दें)					
क्र. सं.	शाखा /खाता / ऋणी / गारन्टर का नाम व पता	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण दृष्टिबंधक / प्रभार / बंधक / मालिक का नाम (संपत्ति के बंधककर्ता)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की बार 13 (2) के तहत मांग सूचना (सी) दिनांक 31.01.2026 तक शेष राशि (डी) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(4) की तिथि (ई) कच्चे के प्रकार प्रतीकालक / भौतिक / सांकेतिक	(ए) रिजर्व मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि / दिनांक सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि
1	शाखा: कटौर (405400) श्री रियाज खान उर्फ रियाज पटान पुत्र नवाब अहमद (उधारकर्ता/बंधककर्ता), पता: मोहल्ला मिर्सी खेल (पटानावाला), शाहजहापुर, तहसील मवाना, जिला मेरठ, उ.प्र.- 250104। श्री रईस आलम खान पुत्र सरवर आलम (गारन्टर), पता: मोहल्ला मिर्सी खेल (पटानावाला), शाहजहापुर, तहसील मवाना, जिला मेरठ, उ.प्र.- 250104।	बंधक आवासीय पूर्व फोसिंग आबादी प्लॉट, क्षेत्रफल 55.73 वर्ग मीटर, स्थित मोहल्ला मिर्सी खेल, कच्चा शाहजहापुर, परगना कटौर, तहसील मवाना, जिला मेरठ, जो श्री रियाज पटान पुत्र नवाब अहमद के नाम दर्ज है। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: 14 फीट 9 इंच, 10 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: 15 फीट 3 इंच, 10 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: 37 फीट, इमागुश्रीन का मकान, दक्षिण: 43 फीट, 16 फीट चौड़ा रास्ता।	(क) 22.03.2023 (ख) ₹0 5,74,567.05 (ग) ₹0 7,19,908.35 + ब्याज दिनांक 01.02.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चें एनपीए के बाद (घ) 05.08.2023 (ङ.) सांकेतिक कच्चा	₹0 11.22 लाख ₹0 1.122 लाख ₹0 0.25 लाख	27.03.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 26.03.2026
2	शाखा: सखना (085800) श्री वनेश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता), पता: ग्राम लोहिया परगना दौराला, तहसील सखना, मेरठ- 250342। श्रीमती सुरेश पत्नी श्री ऋषिपाल सिंह (गारन्टर), पता: जय भीम नगर, अम्बेडकर भवन, मेरठ- 250004। श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह (गारन्टर), पता: ग्राम लोहिया, परगना दौराला, तहसील सखना, मेरठ- 250342।	बंधक आवासीय संपत्ति के सभी भाग व भूखंड, जो ग्राम लोहिया, अम्बेडकर भवन के निकट, परगना दौराला में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर (अर्थात् 100 वर्ग गज) है तथा जो श्री वनेश पुत्र जगदीश प्रसाद के नाम दर्ज है। उक्त संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं- पूर्व: 31 फीट 3 इंच, तत्पश्चात विक्रेता का मकान, पश्चिम: 31 फीट 3 इंच, तत्पश्चात 10.00 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: 28 फीट 7 इंच, तत्पश्चात विक्रेता का मकान, दक्षिण: 29 फीट, तत्पश्चात श्री महावीर का मकान। (नोट: उपरोक्त संपत्ति का विवरण दिनांक 19.07.2016 की विक्रय विलेख के अनुसार है, जो उप-निबंधक, सखना के कार्यालय में क्रम संख्या 9405, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 7134, पृष्ठ 1 से 20 पर पंजीकृत है।)	(क) 10.07.2025 (ख) ₹0 11,88,289.19 (ग) ₹0 12,55,838.19 + ब्याज दिनांक 01.02.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चें एनपीए के बाद (घ) 05.02.2026 (ङ.) सांकेतिक कच्चा	₹0 15.33 लाख ₹0 1.533 लाख ₹0 0.25 लाख	27.03.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 26.03.2026
3	शाखा: तोपखाना, मेरठ (667500) मोहम्मद आसिफ पुत्र गफ़ार (ऋणी) पता 1: मकान नं. 148, मोमीन नगर कॉलोनी हुमायूँ नगर, मेरठ राशि- 2500002, पता: 2. 1908, गली नं. 28/2, डी ब्लॉक, जाकिर हुसैन कोलोनी- मेरठ- 250002, पता 3: 3560, जाकिर कॉलोनी, मेरठ- 250001। पता 4: मकान नं. 449, हुमायूँ नगर वाई- नं. 36, पार्ट नं. 148 का भाग मिननुमला खसरा नं. 11, मोमीन नगर, कॉलोनी, मेरठ। 2. श्रीमती साजो पत्नी आसिफ (सह-ऋणी और बंधककर्ता), पता 1: मकान नं. 148, मोमीन नगर कॉलोनी हुमायूँ नगर, मेरठ राशि - 2500002, पता: 2. 1908, गली नं. 28/2, डी ब्लॉक, जाकिर हुसैन कॉलोनी- मेरठ - 250002, पता 3: 3560, जाकिर कॉलोनी, मेरठ- 250001, पता 4: मकान नं. 449, हुमायूँ नगर वाई- नं. 36, पार्ट नं. 148 का भाग मिननुमला खसरा नं. 11, मोमीन नगर, कॉलोनी, मेरठ।	बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग और खंड स्थित प्लॉट नं. 148, क्षेत्रफल माप 40.55 वर्गमीटर स्थित मोमीन नगर, मेरठ उत्तर प्रदेश सम्पत्ति स्वामी श्रीमती साजो पत्नी मोहम्मद आसिफ, सीमाएँ:- पूर्व- 14 फीट 6 इंच तत्पश्चात 18 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम- 14 फीट 6 इंच तत्पश्चात अन्य का मकान, उत्तर- 30 फीट तत्पश्चात अलीशेर सैफी का मकान, दक्षिण- 30 फीट तत्पश्चात शमीम का मकान। (नोट:- उपरोक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख रजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार कार्यालय मेरठ (द्वितीय), बही नं. 1, जिल्द नं. 9483, पेज नं. 71 से 84, क्रमांक नं. 11390, दिनांक 29.11.2018 पर पंजीकृत है।)	(क) 29.09.2025 (ख) ₹0 6,70,251.88 (ग) ₹0 7,03,111.88 + ब्याज दिनांक 01.02.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चें एनपीए के बाद (घ) 18.12.2025 (ङ.) सांकेतिक कच्चा	₹0 14.25 लाख ₹0 1.425 लाख ₹0 0.25 लाख	27.03.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 26.03.2026
4	शाखा: माछर (251900) 1. श्री मोहम्मद दानिश पुत्र श्री मोहम्मद इकराम (ऋणी), पता: मोहल्ला कुरेशीयान, शाहजहानपुर, मेरठ उ.प्र.- 250104, 2. श्री नाजिश पुत्र मोहम्मद इकराम (गारन्टर और बंधककर्ता), पता: मोहल्ला कुरेशीयान, शाहजहानपुर, मेरठ उ.प्र. - 250104	बंधक सम्पत्ति (आवासीय भवन) स्थित मकान म्यूसिसिपल नं. 130/08, वाई नं. 08, (जिसका मकान कर की राशि संख्या 63 दिनांक 10.08.2023),मोहल्ला अंसरियान, कच्चा शाहजहानपुर, परगना कटौर, तहसील मवाना, जिला- मेरठ जिसका माप 53.58 वर्गमीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री मोहम्मद दानिश और श्री मोहम्मद नाजिश दोनों पुत्र मोहम्मद इकराम। सीमाएँ निम्न प्रकार हैं:-पूर्व-डी सुल्तान का मकान, पश्चिम- श्री बाबू का मकान, उत्तर- श्री लियाकत और रियासत का मकान, दक्षिण- 8 फीट चौड़ा रास्ता। (नोट- उपरोक्त सम्पत्ति का संशोधन क्रिय विलेख रजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार कार्यालय मवाना जिसका क्रमांक नं. 9341, बही नं. 1, जिल्द नं. 9796, पेज 335 से 352 दिनांक 27.06.2023 पर पंजीकृत है।)	(क) 04.10.2025 (ख) ₹0 5,68,611.76 (ग) ₹0 5,88,467.76 + ब्याज दिनांक 01.02.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चें एनपीए के बाद (घ) 18.12.2025 (ङ.) सांकेतिक कच्चा	₹0 15.49 लाख ₹0 1.549 लाख ₹0 0.25 लाख	27.03.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 26.03.2026
5	शाखा: दिल्ली रोड, बड़ौता (762000) श्री नाशिर अली पुत्र करम अली (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता), पता 1. वाई नं. 10, न्यू कपला नगर, गुराना रोड, बड़ौता, बागपत-250611, पता 2: 50, बड़का रोड, मोहल्ला- गुरैयाँ, बड़ौता, बागपत। श्रीमती शईन पत्नी नाशिर अली (सह-उधारकर्ता) पता 1. वाई नं. 10, न्यू कपला नगर, गुराना रोड, बड़ौता, बागपत-250611, पता 2. 50, बड़का रोड, मोहल्ला- गुरैयाँ, बड़ौता, बागपत। श्री मोहम्मद शकील पुत्र मलखान अहमद (गारन्टर), पता: 16/17, गुरैयाँ-2, बड़ौता, जिला- बागपत-250611	बंधक आवासीय मकान स्थित प्लॉट नं. 06 के 1/2 भाग, जो खसरा नं. 1038/2 एवं 1038/3 का हिस्सा है, मोहल्ला- न्यू कपला नगर, बड़ौता, जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर है तथा जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं (दिनांक 07.12.2017 की विक्रय विलेख के अनुसार): पूर्व: विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम: 17 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: 17 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: प्लॉट नं. 7, उपरोक्त विवरण दिनांक 07.12.2017 की विक्रय विलेख के अनुसार है, जो उप-निबंधक, बड़ौता, जिला बागपत के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 6033, पृष्ठ 207 से 242 पर क्रम संख्या 9648 पर पंजीकृत है।	(क) 04.10.2025 (ख) ₹0 13,90,478.01 (ग) ₹0 14,22,848.01 + ब्याज दिनांक 01.02.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चें एनपीए के बाद (घ) 03.02.2026 (ङ.) सांकेतिक कच्चा	₹0 29.50 लाख ₹0 2.950 लाख ₹0 0.25 लाख	27.03.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 26.03.2026
6	शाखा: सखना (085800) श्री राजू कुमार पुत्र श्री रामफल सिंह (ऋणी), पता: समौली रोड, वाई नं0 8, दौराला शुरार मिल दौराला, मेरठ- 250221, श्रीमती संगीता रानी पत्नी श्री राजू कुमार (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता), पता: समौली रोड, वाई नं0 8, दौराला शुरार मिल दौराला, मेरठ- 250221, श्रीमती कुशुम देवी पत्नी अमनकर (गारन्टर), पता: हनुमान विहार, दौराला, मेरठ- 250221	बंधक एक आवासीय प्लॉट स्थित कच्चा एवं परगना दौराला, तहसील-सखना, जिला- मेरठ, माप क्षेत्रफल 43.00 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती संगीता रानी पत्नी श्री राजू कुमार, सीमाएँ:- पूर्व: 3.5 गज तत्पश्चात अन्य का प्लॉट, पश्चिम: 3.5 गज तत्पश्चात 10 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: 15 गज तत्पश्चात नरेन्द्र एवं सुरेन्द्र का प्लॉट, दक्षिण: 15 गज तत्पश्चात रोहाताश का प्लॉट। (नोट- उपरोक्त सम्पत्ति विक्रय विलेख सब-रजिस्ट्रार ऑफिस सखना, क्र0स0 13760, बही नं0 1, जिल्द नं0 5318, पेज नं0 369 से 382, दिनांक 05.09.2013 पर पंजीकृत है।)	(क) 27.08.2025 (ख) ₹0 8,70,348.10 (ग) ₹0 9,18,101.10 + ब्याज दिनांक 01.02.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चें एनपीए के बाद (घ) 16.01.2026 (ङ.) सांकेतिक कच्चा	₹0 12.19 लाख ₹0 1.219 लाख ₹0 0.25 लाख	27.03.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक 26.03.2026

सम्पत्ति विक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी विक्री "ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन" पोर्टल <https://baanknet.com/> पर होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल (<https://baanknet.com/>) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। (जिसमें 2 कार्य दिवस लग सकते हैं) इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) यदि नीलामीकर्ता 25 प्रतिशत की शेष राशि जमा नहीं करता है तो ईएमडी राशि जप्त कर ली जायेगी। बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाढ़ में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. सफल बोलीदाता को विक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75% जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर बोली राशि के शेष 75% के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि सांपत्ति या राशि के किसी भी हिस्से के सभी दावों को जप्त कर लेगा, जिसके लिए वह बाढ़ में हो सकता है। यदि नीलामी की तिथि को अवकाश घोषित हो तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जायेगी। 9. ऋणधारकों/ गारंटर को सूचित किया जाता है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त घनराशि (ब्याज जमा एवं अन्य व्यय सहित) नीलामी तिथि से पूर्व जमा करा दें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और खर्च के साथ उधारकर्ता से वसूली की जाएगी। नोट- अधिक जानकारी के लिए संपर्क मोबाइल नं: 8433166964

दिनांक: 23.02.2026	स्थान — मेरठ
--------------------	--------------